

गोकसी में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद –

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री कृष राजपूत के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 10.03.2026 को थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर ग्राम कन्धेरी ताला सागर के पास से मु0अ0स0 87/2026 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ। अभियुक्त ईशा नट उर्फ सन्तोष पुत्र छटंकी नट निवासी कन्धेरी थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ के कब्जे से 01 अदद नाजायज तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

1. ईशा नट उर्फ सन्तोष पुत्र छटंकी नट निवासी कन्धेरी थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ

बरामदगी-

1. 01 अदद नाजायज तमंचा
2. 01 अदद जिन्दा कारतूस

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 87/26 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम
2. मु0अ0स0 89/26 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना सरायलखन्सी
3. मु0अ0स0 297/23 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना सरायलखन्सी
4. मु0अ0स0 116/25 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 109(1)/325 बीएनएस थाना कन्दवा जनपद चन्दौली।

गिरफ्तारकर्ता-

1. उ0नि0 वृजेश कुमार
2. का0 अभिषेक सिंह
3. का0 सुनील विश्वकर्मा।

01 शांतिर अन्तरजनपदीय चोर गिरफ्तार कब्जे से कुल करीब 206 ग्राम सोने के आभूषण तथा 1536 ग्राम चांदी के आभूषण (कीमत लगभग 37 लाख रूपये) व नगद (52,500 रूपये)और चोरी में प्रयुक्त उपकरण तथा मोबाइल फोन बरामद ।

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी (IPS) के द्वारा जनपद में घटित हो रही मकानों में ताला तोड़कर चोरी, आभूषण चोरी तथा अन्य संपत्ति संबंधी अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के उद्देश्य से व चोरी की घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी, चोरी गये माल विशेषकर नकदी , सोने-चांदी के आभूषणों की बरामदगी तथा घटनाओं का त्वरित एवं सफल अनावरण सुनिश्चित करने हेतु अभियान चलाया जा रहा था । इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर जनपद मऊ श्री कृश राजपूत के सहयोग व निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह थाना कोतवाली नगर मऊ द्वारा सर्विलांस टीम के सहयोग से लगातार सक्रिय रूप से संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग, संभावित स्थानों पर निगरानी तथा मुखबिर तंत्र के माध्यम से चोरी की घटनाओं में संलिप्त अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। अभियान में करीब 42 विभिन्न स्थानों के सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन व परीक्षण करने के पश्चात अभियुक्त की पहचान होने पर मुखबिर खास मामूर किया गया था । दिनांक 09.03.2026 को प्राप्त मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर रेलवे स्टेशन के सामने रामलीला मैदान जाने वाली रोड के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया गया, जो अपने कंधे पर स्लेटी रंग का बैग लेकर जा रहा था। पूछताछ में उक्त व्यक्ति द्वारा अपना नाम मनोज कुमार गुप्ता पुत्र रमेश्वर गुप्ता निवासी मूल तकिया धरहरा थाना लार जनपद देवरिया, हाल पता मिश्र नेवरी काशीपुर वार्ड नं0 05 थाना कोतवाली नगर जनपद बलिया बताया गया। तलाशी लेने पर अभियुक्त के कब्जे से सोने का कुल 205.82 ग्राम तथा चांदी का कुल 1536 ग्राम आभूषण, चोरी की नकदी कुल 52500 रूपये , मकानों के ताले व आलमारी तोड़ने में प्रयुक्त लोहे की रॉड (सुम्मी) तथा दो मोबाइल फोन बरामद हुए। पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर जनपद मऊ के विभिन्न क्षेत्रों सहादतपुरा, ताजपुर, बरपुर तथा कोपागंज क्षेत्र में मकानों का ताला तोड़कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से बरामद आभूषणों व नकदी के संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 70/2026 धारा 331(4)/305(a) /317(2), 317(4), 111(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं।

अपराध का तरीका -

अभियुक्त ने बताया कि वह अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर विभिन्न जनपदों में मकानों की रेकी कर चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। अभियुक्तों द्वारा दिन में ऐसे मकानों की पहचान की जाती थी जिनमें ताला लगा होता था तथा रात्रि में मकान के मुख्य गेट, दरवाजे या छत के रास्ते घर में प्रवेश कर लोहे की नुकीली रॉड (सुम्मी) से ताला, बक्सा, आलमारी व लाकर तोड़कर सोने-चांदी के आभूषण व नकदी चोरी कर ली जाती थी। अभियुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि चोरी किये गये आभूषणों का कुछ हिस्सा बेच दिया जाता था तथा कुछ आभूषणों को सोनार से सत्यापित कराकर बैंकों से लगभग 12 लाख रुपये व 7 लाख रुपये के गोल्ड लोन प्राप्त किये गये थे। चोरी से अर्जित धन से अभियुक्त द्वारा मुंबई में झुग्गी खरीदना, जनपद बलिया में मकान बनवाना तथा अपनी पत्नी के नाम से बैंक में धन जमा करना भी स्वीकार किया गया है। अभियुक्त के अन्य साथियों की गिरफ्तारी तथा चोरी से अर्जित संपत्ति के संबंध में पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा जनपद मऊ के सहादतपुरा, ताजोपुर, बरपुर तथा कोपागंज क्षेत्र में चोरी करना स्वीकार किया है और उससे सम्बन्धित जेवरात बरामद कराया है। परन्तु अभियुक्त द्वारा जनपद मऊ के कई अन्य स्थानों पर लगभग 20-25 चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है, जिसके बारे में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. मनोज कुमार गुप्ता पुत्र रमेश्वर गुप्ता निवासी मूल तकिया धरहरा थाना लार जनपद देवरिया, हाल पता मिश्र नेवरी काशीपुर वार्ड नं0 05 थाना कोतवाली नगर जनपद बलिया उम्र करीब 49 वर्ष

बरामदगी का विवरण -

अभियुक्त मनोज कुमार गुप्ता के कब्जे से तलाशी के दौरान निम्नलिखित सामान बरामद हुआ –

1. आभूषण –

**सोने (पीली धातु) के आभूषण – कुल 205.82 ग्राम कीमती करीब 32,93,120 रूपये
(बत्तीस लाख तिरानबे हजार एक सौ बीस) मात्र**

1. एक अदद हार
2. एक जोड़ी कंगन (हाथ का)
3. 11 अदद अंगूठी
4. तीन अदद चैन लॉकेटशुदा
5. चार जोड़ी कान का झाला व टप्स
6. नाक की कील कुल 07 अदद .
7. तीन अदद मंगलसूत्र
8. दो अदद मांग टीका
9. एक अदद नथिया

**चांदी (सफेद धातु) के आभूषण – कुल 1535.91 ग्राम कीमती करीब 3,88,585 रूपये
(तीन लाख अठ्ठासी हजार पांच सौ पचासी रूपये)**

1. पायल छः जोड़ी
2. एक अदद ज्युतिया
3. तीन अदद हाफ पेटी / करधनी
4. दो जोड़ी झागल
5. एक छोटी कटोरी
6. एक छोटा चम्मच
7. एक सुपारी गोल
8. एक तस्तरी

2. चोरी के कुल 52,500 रूपये नगद

3. चोरी में प्रयुक्त उपकरण – दो अदद लोहे की रॉड (सुम्मी) जो एक तरफ से नुकीली है, जिससे ताला, बक्सा व लाकर तोड़ा जाता है।
4. मोबाइल फोन – एक अदद मोबाइल फोन सैमसंग (रंग काला) तथा एक अदद मोबाइल फोन रेडमी-13

गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थान –

दिनांक – 09.03.2026

समय – 18.30 बजे

स्थान – रामलीला मैदान के पास, रेलवे स्टेशन मऊ को जाने वाली सड़क, थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त –

1. मु0अ0सं0 70/2026, धारा 331(4)/305(क)/ 317(2)/317(4)/111(2) बी.एन.एस. थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
2. मु0अ0सं0 54/26 धारा 305/331(4)/ 317(2)/317(4) बी.एन.एस. थाना कोपागंज जनपद मऊ
3. मु0अ0सं0 57/26 धारा 331(4)/305(ए)/ 317(2)/317(4) बी.एन.एस. थाना सरायलखंसी जनपद मऊ
4. मु0अ0सं0 233/25 धारा 331(4)/305(ए)/ 317(2)/317(4) बी.एन.एस. थाना सरायलखंसी जनपद मऊ
5. मु0अ0सं0 134/24 धारा 380/457/411 भा0दं0वि0 थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर
6. मु0अ0सं0 136/24 धारा 380/457/411 भा0दं0वि0 थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर
7. मु0अ0सं0 359/08 धारा 380/457/411 भा0दं0वि0 थाना सरायलखंसी जनपद मऊ
8. मु0अ0सं0 1713/2010 धारा 380/457/411 भा0दं0वि0 थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
9. मु0अ0सं0 130/2005 धारा 380/457/411 भा0दं0वि0 थाना कोतवाली पड़रौना जनपद कुशीनगर
10. मु0अ0सं0 99/2009 धारा 110 (जी) दंप्रसं थाना लार जनपद देवरिया
11. मु0अ0सं0 150/2007 धारा 394/412 भा0दं0वि0 थाना लार जनपद देवरिया
12. मु0अ0सं0 304/09 धारा 110 (जी) दंप्रसं थाना लार जनपद देवरिया
13. मु0अ0सं0 897/2013 धारा 110 (जी) दंप्रसं थाना लार जनपद देवरिया
14. मु0अ0सं0 80/2003 धारा 380/457/411 भा0दं0वि0 थाना सलेमपुर जनपद देवरिया
15. मु0अ0सं0 15/2010 धारा 380/457/411 भा0दं0वि0 थाना उभांव जनपद बलिया
16. मु0अ0सं0 59/2003 धारा 380/457/411 भा0दं0वि0 थाना उभांव जनपद बलिया

गिरफ्तारी बरामदगी पुलिस टीम का विवरण –

1. प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह, थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
2. उ0नि0 संजय कुमार तिवारी, चौकी प्रभारी संस्कृत पाठशाला थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
3. उ0नि0 विवेक राव, चौकी प्रभारी ब्रह्मस्थान थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
4. हे0का0 राकेश यादव, सर्विलांस टीम जनपद मऊ

5. का0 विजय यादव, थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
6. का0 अमरेश सिंह, थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
7. का0 विवेक कुमार यादव, थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
8. का0 अंगद सिंह, थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
9. चा0हे0का0 विनोद कुमार सरोज, चालक थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

जिलाधिकारी मऊ व पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा पुलिस लाइन में स्थित मीटिंग हाल में उत्तर प्रदेश पुलिस सब इन्सपेक्टर-2025 की परीक्षा को सकुशल सम्पन्न कराए जाने हेतु ड्यूटी में लगे समस्त अधिकारी/कर्मचारियों को ब्रीफ करते हुए दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश-

आज दिनांक-10.03.2026 को पुलिस लाइन मऊ में स्थित मीटिंग हाल में जिलाधिकारी मऊ व पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी, अपर जिलाधिकारी श्री सत्य प्रिय सिंह द्वारा दिनांक-14/15.03.2026 को जनपद में होने वाले उत्तर प्रदेश पुलिस सब इन्सपेक्टर-2025 की परीक्षा में सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था एवं विशेष सतर्कता बनाये रखते हुए सकुशल सम्पन्न कराए जाने हेतु ड्यूटी में लगे समस्त अधिकारी/कर्मचारियों की ब्रीफिंग कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार तथा ड्यूटी में लगे सभी राजपत्रित/अराजपत्रित अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहें।